नेताओं की प्राथमिकता तबादले व नियुक्तियां न कि मेडिकल कॉलेज

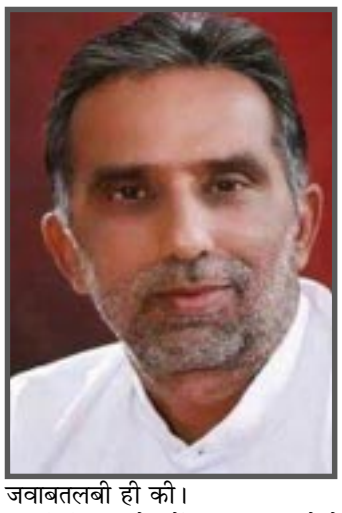

फ़रीदाबाद (म.मो.) मज़दूरों के खून-पसीने की कमाई के 900 करोड़ से बनने वाले 500 बिस्तरों वाले अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के निर्माण का तमाशा, फ़रवरी 2009 यानी गत 6 वर्षों से इस शहर के एन एच-3 में चल रहा है। बड़ा अस्पताल बनाने की आड़ में ई एस आई निगम की अफ़सरशाही ने एन एच-3 का चलता-चलाया अस्पताल भी बर्बाद कर छोड़ा। चलो अफ़सरों ने तो जो हरामखोरी की सो की लेकिन दुख तो इस बात का है कि क्षेत्र के किसी भी (पक्ष या विपक्ष के) राजनेता ने न तो कभी यहां का मौका मुआयना करने की जरूरत समझी और न ही जनविरोधी अफ़सरों की जवाबतलबी ही की।

चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के नाम पर, औद्योगिक मज़दूरों के वेतन से साढे छः प्रतिशत वसूली करने के बावजूद ई एस आई निगम व हरियाणा सरकार द्वारा चिकित्सा के नाम पर उनकी क्या दुर्गति की जा रही है, उसे लेकर 'मज़दूर मोर्चा' पिछले कई वर्षों से आवाज़ बुलंद कर रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढाते हुए 'मोर्चा' संवाददाताओं ने विभिन्न स्थानीय विधायकों से इस मुद्दे पर बातचीत करके उन्हें उनका कर्त्तव्य याद कराया। अधिकांश को तो पता ही नहीं था कि मसला है क्या। इससे हैरानी भी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इन नेताओं की प्राथमिकतायें व्यापक जनहित न होकर व्यक्तिगत हितों पर ही केन्द्रित रहती हैं। इसके बावजूद दो विधायकों ने अगले माह होने वाले विधान सभा सत्र में इस मुद्दे को उठाने का वायदा किया।

संदर्भवश, सुधी पाठक 'मज़दूर मोर्चा' की 3 माह पुरानी वह रिपोर्टिंग भूले नहीं होंगे जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिक इसी मसले को लेकर स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल से मिलने एक बार उनके घर पर तथा दो बार उनके दफ़्तर दिल्ली गये। उसके बावजूद कृष्णपाल ने एक तिनका तक नहीं तोड़ा। और तो और कभी इस अस्पताल में आकर झांकने तक की तकलीफ़ नहीं की। करे भी कैसे, प्रॉपर्टी डीलरी से फुर्सत मिले तब न। और जो थोड़ी-बहुत फुर्सत मिलती भी है तो उसे वे अपने तथाकथित कार्यकर्ताओं के तबादले एवं मलाईदार तैनातियों पर तैनात कराने में खर्च करते रहते हैं। शिक्षा विभाग के एक तबादले को लेकर तो इनकी शिक्षा मन्त्री रामबिलास शर्मा से भी खूब ठनी हुई है। शिक्षा मंत्री पर दबाव डालने के लिये ये महोदय विभिन्न क्षेत्रों के सजातीय विधायकों तक को लामबंद करने में जुटे हुए हैं।

सांसद की बेशर्मी की इंतहा तो देखिये कि जिस मेडिकल कॉलेज की तरफ़ आज तक झांक कर देखने भर की फ़ुर्सत उन्हें नहीं मिली, उसमें अपने नालायक 'कार्यकर्ताओं' एवं भाई-भतीजों की नौकरी लगवाने के लिये आये दिन अपने सहायक बाटला से फ़ोन कराते रहते हैं। मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है, यह चल क्यों नहीं पा रहा, इसमें बेशक इनकी कोई रूचि न रहे परन्तु बनने व चलने के बाद इसका सत्यानाश कराने के लिये अपने नालायक व निकम्मे 'कार्यकर्ताओं' को भर्ती कराने में पूरी रूचि इनका जन्म सिद्ध अधिकार है।

पृथला से विधायक टेक चंद को बात करने की फ़ुर्सत नहीं

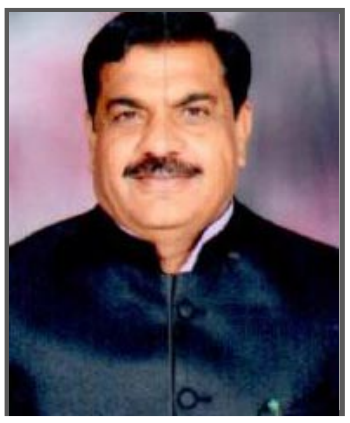

मेडिकल कॉलेज के मसले पर बसपा विधायक टेक चंद शर्मा से बातचीत करने के लिये इस संवाददाता ने 4 दिन लगातार फ़ोन पर उनसे बात करने का प्रयास किया लेकिन बात हो न सकी। बड़ी मुश्किल से तो उनका फ़ोन लग पाता था, जिसे सहायक महोदय उठा कर बताते कि 'साहब बिज़ी' हैं। दो बार खुद 'साहब' ने फ़ोन उठा लिया तो कहा कि अभी फुसर्त नहीं है, फ़िर करना।

वैसे भी यदि उन से बात हो भी जाती तो उनका बड़ा सीधा सा जवाब हो सकता था कि वे तो सत्तारूढ दल में हैं ही नहीं तो वे इस मामले में कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि इस तर्क में कोई दम नहीं है। विपक्षी विधायक और कुछ नहीं तो जनता की आवाज़ तो बुलंद कर ही सकता है; शोर मचाकर मुख्यमंत्री एवं सरकार चलाने वालों के कान का मैल तो साफ़ कर ही सकता है। परन्तु यह सब तो तब होता है जब जनहित के काम करने में रूचि हो। यह भी किसी से छिपा नहीं है जिन कामों में इनकी रूचि होती है उन्हे ये लोग तुरंत सरकार से करा लाते हैं, चाहे वह कितना ही ग़लत क्यों न हो।

इसके लिये शिक्षा विभाग के क्लर्क मोती सागर शर्मा का उदाहरण लिया जा सकता है। यह क्लर्क कभी ड्यूटी पर नहीं आता था। ग़ैरहाज़िर पकड़े जाने पर पकड़ने वाले अधिकारी से हर प्रकार की बद्तमीज़ी पर उतर आता था। हड़ताल की धमकी व धरने प्रदर्शन करना इसका पेशा था। उसकी इन्हीं कारगुज़ारियों को देखते हुए तत्कालीन वित्तायुक्त सुरीना राजन ने 5 जुलाई 2013 को उसका तबादला मेवात कर दिया। वहां से तीन साल तक उसकी वापसी नहीं हो सकती थी। लेकिन विधायक टेकचन्द ने विपक्षी विधायक होते हुए भी अपने प्रभाव एवं दबाव से मोती सागर की तैनाती ज़िला शिक्षा अधिकारी फ़रीदाबाद के कार्यालय में करा दी। इतना ही नहीं यहां भी विधायक महोदय उसे सबसे अधिक मलाईदार (प्राइवेट स्कूलों को डील करने वाली) पोस्ट दिलाने हेतु भी प्रयासरत हैं।

बताने की जरूरत नहीं कि मोती सागर जैसे निकम्मे लोग जब वैसे ही काम करके राज़ी नहीं और फ़िर सजातीय विधायक का संरक्षण मिल जाय तो फ़िर उसे पूरे विभाग में गंद घोलने से कौन रोक सकता है?

पांच हज़ार रिश्वत न देने की कीमत तीन लाख का चूना

'हूडा' में पनपते भ्रष्टाचार का एक नमूना

फ़रीदाबाद (म. मो.) यूं तो सरकार का हर विभाग एवं दफ़्तर भ्रष्टाचार का अड्डा है, परन्तु 'हूडा' (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) इस काम में सबसे अधिक बाज़ी मारता प्रतीत हो रहा है। इसके लिये विभाग के नीचे से लेकर उच्चतम स्तर के अधिकारी तो ज़िम्मेवार हैं ही न्यायपालिका भी कम ज़िम्मेवार नहीं है। इस सारे खेल का एक जीवंत उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया है।

दिलीप मिश्रा सेक्टर 8 स्थित अपने मकान नम्बर 2974 में बच्चों को पढाने का काम करते थे। विदित है कि शुरू-शुरू में सेक्टरों में आबादी कम होने के चलते रिहायशी मकानों में सरकारी दफ़्तर, बैंक, स्कूल व दुकानें आदि सब चलते थे। परन्तु हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद इन सब को जब बंद करवाया गया तो दिलीप मिश्रा जी का तथाकथित स्कूल भी बंद कराने के लिये 'हूडा' ने कार्यवाही की। इस कार्यवाही का समापन 1996 में तत्कालीन 'हूडा' प्रशासक जी-अनुपमा द्वारा मिश्रा जी पर 500 रुपये का जुर्माना लगा कर हो गया। सरकारी आदेश की पालना करते हुए मिश्रा जी ने उसके बाद वहां कभी बच्चों को नहीं पढाया।

सन् 2002 के नवम्बर में 'हूडा' का दहिया नामक एक जे ई उनके पास आया और कहा कि स्कूल चलाओ और उसे दस हज़ार सालाना देते रहो। मिश्रा ने साफ़ कह दिया कि वे कोई भी ग़ैरकानूनी काम नहीं करेंगे। इस पर जे ई ने पहले तो मिश्रा जी को समझाने का प्रयास किया लेकिन बाद में बात गर्मा-गर्मी तक पहुंच गयी। अन्त में दहिया ने केवल पांच हज़ार लेकर बात निपटाने की पेशकश की। मिश्रा ने कहा किस बात के पांच हज़ार? इस पर दहिया ने धमकाया 5000 न देना बहुत महंगा पड़ने वाला है।

19 जनवरी 2003 को 'हूडा' ने मिश्रा को 17 (3) का एक नोटिस भेजा। जाहिर है यह नोटिस दहिया की उस फ़र्जी रिपोर्ट पर जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि मिश्रा जी अपने घर में स्कूल चला रहे हैं। मिश्रा ने स्वयं 'हूडा' कार्यालय में सम्बन्धित अफ़सरों को सारी स्थिति से अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि आगे से नोटिस नहीं आयेगा। लेकिन इसके बावजूद 22.4.03 को 17 (4) का एक और नोटिस आ गया। 'हूडा' दफ़्तर जाने पर अधिकारियों ने बताया कि रिकार्ड की गड़बड़ी से नोटिस चला गया होगा। इसलिए एक शपथपत्र दे दो। मिश्रा ने बताई गई भाषा में शपथपत्र के द्वारा घोषित किया कि उनके मकान में कोई स्कूल नहीं चलता। दिनांक 22.05.03 के डायरी नम्बर 8427 पर इसकी पावती दर्ज है।

इसके बाद 16.11.04 को 'हूडा' ने एक पत्र लिख कर मिश्रा के उक्त मकान का सर्वे करने की इच्छा जताई। जवाब में मिश्रा ने कहा कि जब मर्ज़ी आकर सर्वे कर लो। लेकिन 'हूडा' ने बिना उनके मकान पर जाय ही 21.04.05 को एक पत्र लिख भेजा कि उनका मकान सर्वे के वक्त बन्द पाया गया था। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में स्कूल होने का भी कोई उल्लेख नहीं था। वैसे भी यदि मकान ही बन्द था तो वहां स्कूल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मिश्रा ने जब यह दलील हूडा वालों को दी तो उन्होंने एक कर्मचारी को उनके साथ मौके पर भेज दिया जो वास्तविक स्थिति देख कर चला गया। इसके बावजूद उनके मकान को रिज्यूम कर लिया गया।

इसके विरुद्ध मिश्रा ने 20.07. 05 को तत्कालीन प्रशासक को अपील दायर की। सुनवाई के वक्त जब वे वहां पहुंचे तो तत्कालीन डी डी ए (सरकारी वकील) ने उनसे 20 हज़ार की मांग की जिसके नहीं देने पर उनकी अपील खारिज कर दी गयी। इसके बाद अगली अपील 'हूडा' के तत्कालीन वितायुक्त के.के जालान के यहां दायर की गयी। चंडीगढ स्थित उनके कार्यालय में जब मिश्रा जी पहुंचे तो वहां के सरकारी वकील ने 40 हज़ार की मांग की, नहीं देने पर केस लटकता रहा। इस बीच जालान की जगह एस.एस ढिल्लों आ गये। सरकारी वकील ने मिश्रा को फ़िर समझाया कि ले-देकर फ़ैसला करलो वरना सुप्रीम कोर्ट तक भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं। लेकिन मिश्रा अपने ईमानदारी के सिद्धांत पर डटे रहे। परिणामस्वरूप उन्हें 2 लाख 88 हज़ार का जुर्माना लगा दिया गया।

अब मिश्रा जी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे। जज साहब ने तुरन्त आदेश दिया कि पहले 3 लाख कोर्ट में जमा करवाओ तब सुनवाई होगी। जिस काम के लिये मिश्रा जी ने जे ई दहिया को 5000 नहीं दिये थे अब उसी काम के लिये 3 लाख का ड्राफ़्ट लेकर वे हाई कोर्ट पहुंचे। चंडीगढ के चक्कर लगाने तथा वकीलों की फ़ीस अलग से। 21.5.14 को सुनवाई के दौरान कोर्ट को मिश्रा का दोष कहीं नज़र नहीं आने के बावजूद उसने 'हूडा' के भ्रष्ट बदमाशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की बजाय मिश्रा से कहा कि 3 लाख के ड्राफट को रीवेलीडेट कर 'हूडा' में जमा करा दो जिसे 'हूडा' तब तक नहीं भुनायेगा जब तक एक संयुक्त टीम मकान का मौका मुआयना नहीं कर ले तथा निर्दोष पाये जाने पर ड्राफ्ट मिश्रा को लौटा दिया जाय। मिश्रा ने ड्राफ़्ट रिवेलीडेट करा कर तुरन्त 'हूडा' फ़रीदाबाद में जमा करा दिया। लेकिन कोर्ट आदेश के अनुसार न तो किसी टीम का गठन किया गया और न ही कोई मौका मुआयना हुआ।

मिश्रा द्वारा बार-बार 'हूडा' के चक्कर लगाने के बाद नवम्बर 2014 में 'हूडा' के संपदा अधिकारी सतपाल सिंह ने मौका मुआयना किया। पड़ोसियों ने इस बात की तसदीक कर दी कि यहां कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं चलती। इसके बावजूद मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। दिनांक 30.11.14 को संपदा अधिकारी ने बजाय उक्त ड्राफ़्ट को लौटाने के उसे पुन: रीवेलीडेट करा कर उनके कार्यालय में जमा कराने को कहा है। जबकि हाई कोर्ट ने 6 माह के भीतर केस को निपटाने का आदश दिया था। जाहिर है 'हूडा' का कोई भी अधिकारी बिना रिश्वतखोरी के किसी भी काम को निपटाना नहीं चाहता। परन्तु मिश्रा जी ने इसे अब अपने स्तर पर स्वयं निपटा लिया है। ड्राफ्ट को रीवेलीडेट कराने की अपेक्षा उसे रद्द करा कर रकम अपने खाते में वापस जमा करा ली है, होगा सो देखा जायेगा।

उक्त उदाहरण से स्पष्ट सिद्ध होता है कि दहिया जैसे निम्न स्तर के कर्मचारियों की रिश्वतखोरी उनके ऊपर बैठे अंधे व बहरे उच्चाधिकारियों व जजों की वजह से ही चल पाती है जिन्होंने किसी भी कदम पर दहिया को पूछा तक नहीं कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई झूठी रिपोर्ट देने की। हाई कोर्ट को तो न्याय का तकाज़ा पूरा करने के लिये दहिया के ऊपर बैठे उन तमाम उच्चाधिकारियों को टांग देना चाहिये था जिन्होंने दहिया के विरुद्ध वांछित कार्यवाही न कर के भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया। अदालतों के इसी रवैये से एक ओर तो लोग़ मुकदमेबाज़ी में पड़ने की अपेक्षा ले-देकर मामला निपटाना बेहतर समझते हैं तो दूसरी ओर जो भ्रष्ट दहियों से लड़ना चाहते हैं उनके मुकदमों के बोझ से अदालतें दबी जा रही हैं। यदि अदालतें अपना उदासीन रवैया छोड़कर गंभीरता से ऐसे मामलों को निपटायें तो भ्रष्ट और बदमाश अधिकारी/कर्मचारी अदालतों से इतने डरने लगेंगे कि वे किसी मिश्रा को अदालत की ओर नहीं धकेलेंगे। ध्यान रहे कि अदालतें अपराधियों को उचित सज़ा न देकर अपराधियों को ही अपराध करने के लिये प्रेरित करती हैं।

ई एस आई अस्पताल: डॉक्टरों ने मरीज़ों को छोड़ा झाड़ू को पकड़ा

फ़रीदाबाद (म.मो.) सफ़ाई के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की नारेबाज़ी एवं ड्रामेबाज़ी स्थानीय ई एस आई अस्पताल एन एच-3 में भी दिनांक 25 फ़रवरी को पहुंच गयी। बाद दोपहर तमाम डॉक्टरों, नर्सों, व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ़ ने अस्पताल में इलाज के लिये आये सैंकड़ों मरीज़ों को छोड़ कर मोदी के 'स्वच्छता अभियान' का नाटक करते हुए अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाया व कूड़ा बीना। इसके चलते तमाम मरीज तो परेशान रहे ही रहे डॉक्टर साहेबान भी हंसी के पात्र बने रहे। क्योंकि जब डॉक्टर 'सफ़ाइ' कर रहे थे तो वहां तैनात सफ़ाईकर्मी व मरीज़ हंस रहे थे। जानकार बताते हैं कि सरकारी आदेशानुसार सप्ताह में एक दिन इस तरह का नाटक करना तमाम स्टाफ़ के लिये अनिवार्य है। इसका मतलब यह हुआ कि अब ई एस आई अस्पताल में आनेवाले मरीज़ों को इसी तरह भुगताना होगा। सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री मोदी हों या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस अभियान को केवल फ़ोटो स्तर के लिये ही चलाया था। खट्टर ने इसी शहर की एक बस्ती में जहां यह नाटकबाज़ी की थी वहां गंदगी के ढेर ज्यों के त्यों लगे पड़े हैं। इसके अलावा भी शहर के कोने-कोने में गंदगी के ढेर व सीवर उफ़न-उफ़न कर सड़कों पर बह रहे हैं।

ई एस आई सी के इस अस्पताल में सफ़ाईकर्मियों के 50 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 17 तो पक्के हैं जो 20 से 25 हज़ार तक मासिक वेतन पाते हैं तथा 20 ठेकेदारी में रखे हैं जिन्हें मात्र 8100 रुपये मासिक मिलते हैं। इस प्रकार 50 सफ़ाईकर्मियों की जगह यहां मात्र 37 कर्मचारी ही सफ़ाई का काम करते हैं। इतना ही नहीं वेतन के हिसाब से इन कर्मचारियों की दो श्रेणियां बन जाने से दोनों में मनमुटाव का होना स्वाभाविक है। अधिक वेतन पाने वाले पुराने कर्मचारी तो सोचते हैं कि वे तो वरिष्ठ हो गये हैं इस लिये सफ़ाई करना अब उनका काम नहीं है इसी लिये सरकार ने झाड़ू लगाने के लिये 8100 रुपये मासिक वालों को रखा है। दूसरी ओर कम वेतन पाने वाले इसी गम में घुलते रहते हैं कि उनके साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है?

जाहिर है जहां न तो सफ़ाईकर्मी पर्याप्त मात्रा में हों और जितने हैं भी वे मनमुटाव का शिकार बने रहें तो वहां सफ़ाई का काम तो बिगड़ेगा ही। शायद इसी बिगाड़ को ठीक करने के लिये सरकार डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ को सफ़ाई के काम पर लगा रही है। अब देखना यह है कि डॉक्टरों की जगह सरकार किन्हें लगाती है। इसके अलावा स्टाफ़ की कमी के चलते अस्पताल के प्रवेश द्वार पर प्रात: आठ बजे मरीज़ों की लम्बी कतारें ऐसे लगी रहती हैं जैसे वे मरीज़ न होकर रेल यात्री हों। नियमानुसार जो भी मरीज़ डिस्पेंसरियों से रेफ़र होकर यहां आते हैं, उनका पंजीकरण होने के बाद ही वे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। पंजीकरण के इस काम के लिये 6 कम्प्यूटर चालक क्लर्कों की जरूरत होती है जिन्हें प्रात: साढे आठ बजे अपना काम शुरू कर देना चाहिये। परंतु दिनांक 26.2.15 को इस संवाददाता ने स्वयं देखा कि 8.45 पर केवल एक खिड़की पर ही पंजीकरण का काम शुरू हुआ दूसरा क्लर्क और 25 मिनट बाद पहुंचा। यानी 6 की जगह 2 बाबू और वे भी समय के पाबंद नहीं। इन क्लर्कों की भर्ती कोई भारत के राष्ट्रपति ने नहीं करनी। इसी अस्पताल में बैठे एम एस ने करनी होती है जिसके पास इसके लिये पर्याप्त अधिकार व धन उपलब्ध है। इसके बावजूद भी कोई काम करके राज़ी नहीं।